



जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

क्रमांक

ज वि प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी-512

दिनांक : 16/3/2018

श्री विनोद कुमार गोयल,
निदेशक,
मैसर्स मंगलम विल्ड डवलपर्स लि.,
छठवीं मंजिल, अपैक्स मॉल,
लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर।

विषय- भूखण्ड संख्या जीएच-14, मंगलम ग्रान्ड सिटी योजना, ए ब्लॉक, ग्राम महपुरा,
तहसील सागानेर, जयपुर के पूर्णता प्रमाण पत्र वाचत।

संदर्भ- आपका पत्र दिनांक 28.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बीपीसी-बीपी की 201वीं बैठक में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया कि "वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 लागू कर दिये गये हैं जिसके विनियम संख्या 16.3 के अनुसार "पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों के जाँच हेतु संबंधित निकाय द्वारा एक समिति गठित की जाएगी जिसमें संबंधित निकाय का प्राधिकृत अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी (जो सहायक नगर नियोजक से कम स्तर का ना हो), संबंधित अभियन्ता को शामिल किया जायेगा जिसे पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदत्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच के लिए अधिकृत किया जायेगा। साथ ही प्राप्त आवेदनों की जाँच कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा चयनित अभियान्त्रिकी/नगर नियोजन, राजस्व शाखा के अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में मौका रिपोर्ट भरकर 48 घण्टे के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।" भवन विनियम के उक्त प्रावधानानुसार के अनुसार सिरटम एनालिस्ट, जयपुर से इस हेतु सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया जाये जिसके द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदनों की जाँच के लिए संबंधित निकाय के प्राधिकृत अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी (जो सहायक नगर नियोजक से कम स्तर का ना हो), संबंधित अभियन्ता का चयन रेण्डम प्रणाली द्वारा किया जायेगा।"

अतः उपरोक्त के संवंध में समिति का गठन होने के उपरान्त ही आपके प्रकरण में पूर्णता प्रमाण पत्र की कार्यवाही की जा सकेगी।



भवदीय
16/3/18

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2019/डी- 37 से डी-40 तक

दिनांक: 09/01/2019

श्री विनोद कुमार गोयल,
निदेशक,
मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि.,
छठवीं मंजिल, अपैक्स मॉल,
लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर।

विषय:- भूखण्ड संख्या जी.एच. 14, मंगलम ग्राण्ड सिटी "ए" ब्लॉक, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका उक्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 207वीं बैठक दिनांक 20.11.2018 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भूखण्ड संख्या जी.एच. 14, मंगलम ग्राण्ड सिटी "ए" ब्लॉक, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् मौके पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जावे। यदि परिवर्तन किया जाता है तो उसे अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में माना जावेगा।

भवदीय

(ओमप्रकाश पारीक)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु प्रेषित है।

(ओमप्रकाश पारीक)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।